कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

दिनांक 07.07.2015 को 03.00 बजे अप॰ उपायुक्त, राँची के कार्यालय कक्ष में आहुत जिला स्तरीय सी॰एस॰आर॰(Corporate Social Responsibility) कमिटी की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, राँची
2. उप विकास आयुक्त, राँची
3. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची
4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची
5. जिला योजना पदाधिकारी, राँची
6. जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची
7. सिविल सर्जन, राँची
8. कार्यपालक अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, राँची पश्चिम
9. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि
10. परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिरकण, राँची
11. श्री आर॰ के॰ दसौंधी, सी॰सी॰एल॰ के सी॰एस॰आर॰ प्रतिनिधि
12. उषा मार्टिन लिमिटेड, टाटीसिल्वे, राँची के प्रतिनिधि
13. श्री कुणाल आजमानी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, राँची के प्रतिनिधि
14. श्री शशांक भारद्वाज, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, राँची के प्रतिनिधि

उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सी॰एस॰आर॰(Corporate Social Responsibility) कमिटी की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–

1. राँची जिला में कार्यरत सभी संबंधित कम्पनियों को निदेश दिया गया कि अपना वार्षिक सी॰एस॰आर॰ प्लान अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करें जिससे जिला स्तर पर उसका विश्लेषण किया जा सके।
2. दिनांक 08.04.2015 को प्रकाशित गजट सं॰ 05/u.ni.(MoU)-23/2013/692 (Constitution of Jharkhand Corporate Social Responsibility Council) के अनुसार वार्षिक सी॰एस॰आर॰ प्लान बनाया जाय।
3. सी॰एस॰आर॰ निधि से कस्तुरबा विद्यालय में बेंच/डेस्क की आपूर्ति/स्मार्ट क्लासरूम/फर्निचर/सोलर लाईट सिस्टम आदि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
4. सी॰एस॰आर॰ निधि से आंगनबाड़ी केन्द्र में वेईंग मशिन / फर्निचर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
5. सी॰एस॰आर॰ निधि से कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में फर्निचर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

197

6. सी॰एस॰आर॰ निधि से मलेरिया प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित कर उन क्षेत्रों के लोगों को मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
7. सी॰एस॰आर॰ निधि से जिला स्कुल, राँची का विकास किया जाय।
8. नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत स्थित कस्तुरबा विद्यालय को झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स को सी॰एस॰आर॰ निधि से विकास करने हेतु गोद लेने का प्रस्ताव दिया गया।
9. नेत्रहीन विद्यालय, हरमु को सी॰एस॰आर॰ निधि से विकास करने हेतु किसी कम्पनी को गोद लेने का प्रस्ताव दिया गया।
10. जिला स्तर पर सी॰एस॰आर॰ कोषांग का गठन करने का निदेश दिया गया।
11. सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सी॰एस॰आर॰ निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया।

21/7/15

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची

ज्ञापांक 1308 दिनांक 22/7/15

प्रतिलिपि :– 1. सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबंधक, सी.सी.एल. (SD&CSR), राँची / श्री अरविन्द कुमार, नोडल पदाधिकारी, मेकॉन लिमिटेड, राँची / सहायक महाप्रबंधक, जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड, राँची / श्री अजीत कुमार तिवारी, सहायक महाप्रबंधक, हिन्डालको, मुरी / श्री आशुतोष दिक्षित, उषा मार्टिन लिमिटेड, टाटीसिल्वे, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3. सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/7/15

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची

16